

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर  
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौडम, जयपुर)  
क्रमांक-प.1(क)(512)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./93/13118 दिनांक - 30-8-16

**:: आदेश ::**

डॉ० हेम राज परिहार, स्वास्थ्य अधिकारी (व्ययनित वेतन मान) हाल निदेशालय द्वारा राजस्थान नगर पालिका सेवा पेंशन नियम 1989 के नियम 13 ए (1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिनांक 01.09.16 से स्वेच्छक सेवानिवृत्ति दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

आर. डॉ० हेम राज परिहार द्वारा प्रेषित स्वेच्छक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का राजस्थान नगर पालिका सेवा पेंशन नियम, 1989 के नियम 13 ए (2) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुये डॉ० परिहार को दिनांक 01.09.2016 से निर्देशानुसार सेवानिवृत्त किया जाता है।

डॉ० परिहार की सेवा निवृत्ति तिथि से पूर्व किसी भी प्रकार की ए.सी.बी. जांच/विभागीय जांच अन्तर्गत राजस्थान असेनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 16 व 17 अंतिम निर्बंध नहीं होने तथा यथावत विचारधीन रहते हुए ही सेवानिवृत्ति मानी जायेगी एवं किसी भी प्रकार की बरतनी व दण्डनीय राशि जो चढाई गई हो, समायोजन नहीं कराये जाने पर नियमानुसार बल एवं अफल समप्ति अथवा पेंशन ऐच्युटी इत्यादि राशि से बसूल/काटी जानी योग्य होगी।

**अतिरिक्त निदेशक**

क्रमांक- प.1(क)(512)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./93/13119-13155 दिनांक - 30-8-16  
प्रतिलिपि सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
04. मुख्य लेखाधिकारी (लेखा/पेंशन अनुभाग) निदेशालय, जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
06. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी को प्रथम नियुक्ति से अब तक के दौरान आपके क्षेत्राधिकार की नगर निगम/परिषद/पालिका में यदि किसी प्रकार की अग्रिम राशि ली गई हो एवं उसका समायोजन अभी तक भी नहीं कराया गया हो, किसी जांच में निगम/परिषद/पालिका को आर्थिक हानि पहुंचाई गई हो, जिसकी बरतनी की जानी हो, इस संदर्भ में प्रथम दृष्टया सेवा पुस्तिका मंगवाई जाकर दण्डादेश छुपाया गया हो, तो उससे लिखित में प्रमाण पत्र भेजकर सूचना ली जाये। संबंधित नगर पालिकाओं से प्रमाणीकरण की प्रविष्टियां पूर्ण की जावें एवं उनके वेतन से काटी गई जी.पी.एफ., ऐच्युटी एवं बकाया वेतन के सन्दर्भ में शीघ्र नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु कार्यवाही की जाये।
07. प्रभारी (आर.एम.एस.जांच)/सहायक निदेशक (सतर्कता) को भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच दण्डादेश हानि के सन्दर्भ में नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जाये।
08. सनाधति/आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा।
09. डॉ० हेम राज परिहार, स्वास्थ्य अधिकारी (व्ययनित वेतन मान), नगर परिषद, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि सेवा पुस्तिका अविलम्ब सम्पूर्ण पूर्ण कराई जाकर भिजवाई जाये एवं आप द्वारा पदस्थान के दौरान किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि/बकाया राशि का समायोजन नहीं कराया हो तो शीघ्र समायोजन करावें।
10. निदेशक, पेंशन एवं पेन्शन वेतनफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, निदेशालय।
12. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक